(135)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-8-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 210/अपील/2011-12.

मदन गोपाल आत्मज विजय राम चौहान
ग्राम बांसगन तहसील बुदनी
कृषक ग्राम मांगरौल
तहसील बाड़ी जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

शंकरलाल आत्मज लालचंद साहू
निवासी हाल मुकाम बकतरा
तहसील बुदनी कृषक ग्राम मांगरौल
तहसील बाड़ी जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक आवेदक
श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 28-8-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, बाड़ी जिला रायसेन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मगरौल स्थित खसरा नम्बर 251/6 रकबा 2.80 एकड़ भूमि लालचंद के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । मृतक भूमिस्वामी लालचंद द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का वसीयत उसके पक्ष में निष्पादित किया गया है और वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, अतः वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 103/अ-6/09-10 दर्ज कर दिनांक 8-4-10 को वसीयत के आधार पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरेली के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5-6-2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का

आदेश निरस्त कर, अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 28-8-2015 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर, मृतक भूमिस्वामी लालचन्द के समस्त वारिसानों के नाम विधि अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष वसीयत को विधिवत साक्ष्य से सिद्ध किया गया है अतः तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन एवं जांच उपरांत वसीयत सिद्ध होने से आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए वसीयत संदिग्ध मानने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त के मत में तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश त्रुटिपूर्ण थे, तब ऐसी स्थिति में उन्हें प्रकरण में पुनः साक्ष्य लेते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं करने में उनके द्वारा भूल की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि वसीयतकर्ता किसी के भी पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर सकता है, इसके लिए एक जाति अथवा रिश्तेदार होना होना कानूनन आवश्यक नहीं है । न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि वसीयत विधि अनुसार प्रमाणित है अथवा नहीं, इस कानूनी बिन्दु को अनदेखा कर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है, इसलिए अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर बिना विचार किये, अनावेदक के तर्कों पर विश्वास कर, जो आदेश पारित किये गये हैं, वह मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी अपने वारिसों को छोड़कर, किसी अन्य जाति के व्यक्ति के नाम वसीयत निष्पादित करना स्वतः संदिग्ध है । यह भी कहा गया कि वसीयत के दिनांक में ओवर रायटिंग की गई है, जिससे वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है होना प्रमाणित है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करने में मृतक भूमिस्वामी

के विधिक वारिसान को कोई सूचना नहीं देकर, आवेदक का नामांतरण स्वीकार करने में विधिक वारिसान को उनके हक से वंचित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय का आदेश अवैधानिक, अनियमित एवं विधि विपरीत है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में विधिवत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख में संलग्न वसीयत को देखने से स्पष्ट है वसीयत में तीन पुत्र रमेश, शंकर एवं लखन का उल्लेख है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार को वारिस होने के नाते उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो उन्हें कोई सूचना दी गई है और न ही सुना गया है । वसीयत में ओवर रायटिंग भी है एवं वसीयत के गवाहों के पिता का नाम एवं उनके निवास का पूर्ण पता भी उल्लेखित नहीं है, इससे गवाहों की पहचान संदिग्ध हो जाती है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा वसीयत को संदिग्ध मानते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, परन्तु आवेदक के स्थान पर मृतक भूमिस्वामी के सभी विधिक वारिसान के नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज करने के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि वसीयत में ओवर रायटिंग की गई है और वसीयत के गवाहों के विरोधाभासी कथन हैं । इसके अतिरिक्त वसीयतग्रहीता आवेदक न तो मृतक का निकट सम्बन्धी है और न ही वैध वारिस है । अतः आयुक्त द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयत संदिग्ध मानते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर मृतक भूमिस्वामी के समस्त वैध वारिसों के नाम विधि अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार को देने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए आयुक्त का आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ अपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 28-8-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर